



2026:AHC:15212

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44347 /2025

महबूब

..... आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता	: आलोक कुमार सिंह
विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री आर. के. निषाद को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक महबूब की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 641/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में कुटिल उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध एक आपराधिक मामले का इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त न तो किसी गिरोह का सदस्य है, न ही नेता अथवा आयोजक है और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ख) में वर्णित गिरोह की गतिविधियों में कोई उकसावा या सहायता प्रदान की है। उक्त प्रकरण को छोड़कर अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्त, जो दिनांक 01.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्पादन की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ब्रीफ होल्डर ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया।

समस्त तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित आरोपों की प्रकृति एवं साक्ष्यों को विचार में रखते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मैं यह पाता हूँ कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः अभियुक्त-आवेदक, **महबूब**, को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, न्यायालय संबंधित की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप गठन तथा (iii) धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कथन के अभिलेखन के समय।

(iv) आवेदक इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि वह उन तिथियों पर, जब साक्ष्य हेतु गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर, इस आदेश में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।